प्रेस विज्ञप्ति
13.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, महेश जोशी और विशाल सक्सेना तथा उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगी फर्मों की 47.80 करोड़ रुपये की संपत्ति (चल/अचल) को 11.06.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई अचल संपत्तियां जयपुर के विभिन्न हिस्सों में कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, मकान और चल संपत्तियों के रूप में हैं।

ईडी ने एसीबी राजस्थान द्वारा पदमचंद जैन (मालिक: मेसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी), महेश मित्तल (मालिक: मेसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी) और पीएचईडी अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, एसीबी द्वारा मामले में आरोप पत्र भी दायर किया गया है। इसके बाद, बजाज नगर पुलिस स्टेशन, राजस्थान पुलिस, सीबीआई और एसीबी, जयपुर द्वारा उक्त मामले के संबंध में तीन अन्य एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

ईडी जल जीवन मिशन घोटाले की जांच कर रहा है और इस मामले में कई तलाशी ली है। इसके अलावा, ईडी ने पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, पीयूष जैन को भी गिरफ्तार किया था और मामले में अभियोजन शिकायत भी दर्ज की थी। इसके अलावा, ईडी ने 24.04.2025 को मामले में राजस्थान सरकार के तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने जेजेएम योजना के तहत पीएचईडी में निविदाएं हासिल करने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था और उन्हें संजय बड़ाया, महेश जोशी और विशाल सक्सेना जैसे अन्य आरोपियों ने सहायता प्रदान की थी।

आगे की जांच जारी है।